ऐशबाग डबल मर्डरः जांच करीबी लोगों पर केंद्रित , 20 संदिग्धों से पूछताछ

घर से मिले 10 पुराने मोबाइल, आर्थिक लेन-देन भी जांच के दायरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ऐशबाग के सुदामा नगर में रेलवे से सेवानिवृत्त हेमंत फिलेमोन उर्फ हेमंत बारिक और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन की दोहरे हत्याकांड की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस ने जांच का फोकस बाहरी बदमाशों से हटाकर दंपती के करीबी लोगों पर केंद्रित कर दिया है।

संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारी, रिश्तेदार, किरायेदार और नियमित संपर्क में रहने वाले लोगों समेत करीब 20 लोगों की संदिग्ध सूची तैयार कर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि वारदात को किसी ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया है, जिसे दंपती की दिनचर्या, घर की बनावट और आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

रविवार को लगातार दूसरे दिन घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने घर से करीब 10 पुराने मोबाइल फोन, निजी रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए। सभी मोबाइल फोन की कॉल हिस्ट्री, संपर्क और डिजिटल डाटा की जांच कराई जा रही है। हालांकि अधिकांश मोबाइल खराब हालत में मिले और उनमें सिम कार्ड भी नहीं थे। तलाशी के दौरान हेमंत फिलेमोन का निजी हिसाब-किताब का रजिस्टर भी बरामद हुआ है। इसमें कई लोगों से रुपये लेने और देने का विवरण दर्ज है। रकम भले ही अधिक नहीं है, लेकिन पुलिस रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक नाम और लेन-देन की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि किसी पुराने आर्थिक विवाद या लेन-देन का हत्या से संबंध हो सकता है।

इसके अलावा पुलिस ने दंपती के बैंक खातों की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी है। अब तक दो पेंशन खातों की जानकारी सामने आई है। पहले बेची गई संपत्तियों से प्राप्त राशि का उपयोग कहां हुआ और वर्तमान में खातों में कितनी रकम है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा किए जाने की उम्मीद है।

ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को राजधानी के ऐतिहासिक खटलापुरा मंदिर में महिलाओं ने श्रद्धा-भक्ति के साथ वटसावित्री की पूजा की।

शादी का झांसा देकर महिला आरक्षक से दुष्कर्म, आरोपी फरार

प्रेम संबंध का फायदा उठाकर अलग-अलग होटलों में किया शोषण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मिसरोद थाना क्षेत्र में एक महिला आरक्षक ने युवक पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मिसरोद थाना की सब इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा के अनुसार, 35 वर्षीय पीड़िता महिला आरक्षक है। वर्ष 2018 में कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात सुमित रिझारिया से हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने शादी का वादा कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे लगातार अलग-अलग होटलों में ले जाकर शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिन पहले आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और उससे फोन पर बातचीत भी बंद कर दी।

आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने रविवार को मिसरोद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

जनजातीय छात्रावासों के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति बढ़ी

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति दरों में वृद्धि की है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है।

अपेक्स बैंक में सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ

किसानों को महासदस्यता अभियान से जोड़ने पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अपेक्स बैंक मुख्यालय में सोमवार को प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। यह आयोजन भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

सप्ताहभर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के प्रचार-प्रसार, नई सहकारी समितियों के गठन, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

पहले दिन सहकारी ध्वज का ध्वजारोहण, वृक्षारोपण, सहकारिता की शपथ और सहकारी गीत का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत चल रहे महासदस्यता अभियान में अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता

से जोड़ना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चल रहे इस अभियान से जुड़कर किसान शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

श्री यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों से संभागवार भ्रमण कर किसानों से संवाद बढ़ाने और सदस्यता अभियान को गति देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अरुण मिश्रा ने व्यक्त किया।

छात्रवृत्ति आवेदन 31 अक्टूबर तक

भोपाल। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत बीड़ी एवं विभिन्न खदानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाएं तथा आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी कराएं।

भूमि नीलामी में भ्रष्टाचार के दोषी चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े भूमि नीलामी भ्रष्टाचार मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दोषियों में तत्कालीन विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, प्रबंधक एवं सहकारिता निरीक्षक विनोद कुमार देवल, ए.पी.एस. कुशवाह तथा क्रेता परमजीत बैदी शामिल हैं। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाह ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, भोपाल जिले के ग्राम पड़रिया जार निवासी किसान हरि सिंह ने कृषि कार्य के लिए 18 हजार रुपये का ऋण लिया था। ऋण वसूली के नाम पर आरोपियों ने किसान की लगभग पांच एकड़ कृषि भूमि वर्ष 2002 में मात्र 40 हजार रुपये में नीलाम कर दी। आरोप है कि नीलामी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि को बाजार मूल्य और कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से काफी कम कीमत पर बेचा गया।

जांच में यह भी सामने आया कि नीलामी से जुड़े कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियोजन के अनुसार, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कई कृषि भूमि एक ही व्यक्ति परमजीत बैदी के नाम नीलाम कराई गई थीं। लोकायुक्त पुलिस की जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा तर्कों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

'किसान न्याय योद्धा' अभियान शुरू

किसान कांग्रेस ने घोषित की नई प्रदेश कार्यकारिणी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, सुखदेव पांसे, डॉ. महेंद्र सिंह चौहान, अवनीश भार्गव, शैलेन्द्र पटेल, सुनील सराफ सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसान कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक गांव और पंचायत तक संगठन के विस्तार का संकल्प लिया गया। इस दौरान 'किसान न्याय योद्धा' अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत और गांव में पांच-पांच किसान न्याय योद्धा नियुक्त किए जाएंगे, जो किसानों की समस्याओं को संगठन और प्रशासन तक पहुंचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। बैठक में किसान कांग्रेस की गतिविधियों और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री आज करेंगे 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

जल गंगा संवर्धन अभियान का होगा समापन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार, 30 जून को राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखंड स्थित भैंसवामाता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 352 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल तथा सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री दोपहर में भैंसवामाता मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ-पूजन और पौधरोपण करेंगे। वे जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 की प्रदर्शनी का अवलोकन कर जल संरक्षण से जुड़े नवाचारों की जानकारी भी लेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजगढ़ जिले की पर्यटन फिल्म, कॉफी टेबल बुक और सोशल मीडिया हैंडल का लोकार्पण तथा विकास कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। विभिन्न हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के तहत लाभ भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेशव्यापी 'जल गंगा संवर्धन अभियान-2026' का औपचारिक समापन भी होगा। अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 3.62 लाख जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किए गए हैं, जिनमें जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन, भू-जल संवर्धन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी संरक्षण और जनजागरूकता जैसे कार्य शामिल हैं।

समारोह में जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली ग्राम पंचायतों, शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, जलदूतों, महिला स्व-सहायता समूहों, किसानों और अन्य संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जल संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी और लघु फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। कार्यक्रम में आगामी वर्षा ऋतु के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को गति देने तथा एक जुलाई से शुरू होने वाले विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन की जानकारी भी आमजन को दी जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को लेकर प्रदेश टोली की बैठक को संबोधित किया। बैठक में प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ (वर्चुअल), प्रदेश मंत्री राजेन्द्र सिंह, संभाग प्रभारी डॉ. अभय प्रताप सिंह यादव, सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी, आईटी सेल के प्रदेश संयोजक अमन शुक्ला एवं टोली के सदस्य मनोज यादव उपस्थित रहे।

भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन से भूमि रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन

नप्र, भोपाल : प्रदेश में भूमि संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत पुराने भू-अभिलेखों का चरणबद्ध डिजिटाइजेशन कर रही है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रदेश के करीब 15 करोड़ पुराने भूमि रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को अपने भूमि अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने में सुविधा होगी ।सरकार द्वारा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और डीबीईएस सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत जिला स्तर पर आधुनिक स्कैनिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां दस्तावेजों की स्कैनिंग और मेटाडाटा एंट्री की जा रही है। रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारी ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद अभिलेख 'भूलेख पोर्टल' पर उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू हुआ था, जिसे वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया।

उपचुनाव जागरूकता अभियान को मिलेगी गति, आयोग को सौंपी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसेडर सारिका घारू ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव को सौंपी। इस दौरान सचिव ने स्थानीय निकाय मतदाता सूची के प्रति जागरूकता बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बीएलओ के माध्यम से घर-घर संपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए। सारिका ने बताया कि सात जिलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा संशोधन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में आगामी स्थानीय निकाय उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई।

सेवा भारती का शिक्षिका प्रशिक्षण वर्ग संपन्न

सेवाभाव और संस्कार निर्माण पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सेवा भारती भोपाल महानगर द्वारा सेवा विद्या मंदिर, गोविंदपुरा में आयोजित तीन दिवसीय शिक्षिका प्रशिक्षण वर्ग-2026 का समापन हुआ।

प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ मुख्य अतिथि एल.एन. मालवीय तथा सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने दीप प्रज्वलन एवं भारत माता तथा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया था।

समापन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण व्यक्तित्व विकास, कार्यकुशलता और समाज सेवा को अधिक प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने शिक्षिकाओं से सेवा बस्तियों में अनुशासित, योजनाबद्ध और संस्कारयुक्त वातावरण में कार्य करने का आह्वान करते हुए उत्कृष्ट व्यक्तित्व निर्माण और सेवाभाव को संगठन की पहचान बताया।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक जे-23 मण्डल द्वारा श्री आर. एस. चतुर्वेदी आत्मज श्री पी. सी. चतुर्वेदी के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 03/06/1994 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 13/07/2016 को पंजीकृत है। उक्त सम्पत्ति की लीज समयावधि दिनांक 31/05/2037 तक वैध है। श्री आर. एस. चतुर्वेदी का स्वर्गवास दिनांक 09/09/2021 को हो गया है। आवेदक आवंटी के एक पुत्र श्री अवनीश चतुर्वेदी आत्मज स्व. श्री आर. एस. चतुर्वेदी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

740

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल (म.प्र.) में स्थित भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस./जे-97 मण्डल द्वारा श्रीमती हर्षा आहुजा पत्नी स्व. श्री दीपक आहुजा के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 29/01/2003 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 14/06/2010 को पंजीकृत है। उक्त सम्पत्ति की लीज समयावधि दिनांक 31/05/2037 तक वैध है। श्रीमती हर्षा आहुजा पत्नी स्व. श्री दीपक आहुजा द्वारा उक्त सम्पत्ति जफत श्री विवेक अग्रवाल आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 18/6/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री विवेक अग्रवाल आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

739

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा मोहम्मद हनीफ आत्मज मोहम्मद कल्लू निवासी म.नं.-786, आलोक कालोनी, पीपुल्स अस्पताल के पीछे, बैरसिया रोड, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा कब्जे के एक किता भूखंड क्रं.- 1755 जो कि न्यूब्लाक कालोनी, मस्जिद फरीद उद्दीन के पास, कैंची छोला तहसील हुजूर जिला भोपाल में मुख्य मार्ग से अंदर नगर निगम सीमाओं में स्थित क्षेत्रफल 30×30=900 वर्गफिट अर्थात 83.64 वर्गमीटर को विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 06/05/2026 निष्पादित कर बयाना राशि अदा कर दी गई है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विक्रय संव्यवहार अथवा उक्त संपति अथवा उसके किसी भी भाग पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैक, सोसायटी को कोई भी आपति या हित हो अथवा कोई ऋण, भार, दान, बंधक अनुबंध हो तो वह प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेंजो के लिखित में आपति प्रस्तुत करें। समय अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपति मान्य नही होगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त संपति का विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर उसका पंजीयन, पंजीयन कार्यालय में करा लेगा।

HARVINDER SINGH, ADVOCATE
OFFICE:Shop No.5/ 1, Gurunanak Market, Gurudwara Tekri Sahib, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) 462001
Mobile No.:09893015202

738